न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 920/2024

अनवान : –

1. रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व रोही मौजा असरजाना तहसील नेाहर के खाता स0 185/80 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण असरजाना तहसील नोहर के निवासीगण है वादी की पिता की सर्विस गांव बेरवाल में होने के कारण वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बेरवाल दर्ज हो गया जबकि वादीगण के दादा व पड़दादा का गांव असरजाना ही है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना पता सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना के स्थान पर असरजाना ही दर्ज करवाना चाहते है व बेरवाल खुर्द शब्द हटाना चाहते है तथा वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मदन गोपाल भाकर दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम मदन गोपाल है इसलिए वादीगण अपना नाम मदन गोपाल भाकर के स्थान पर मदन गोपाल दर्ज करवाना चाहते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। । प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की व साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की वादीगण असरजाना तहसील नोहर के निवासीगण है वादी की पिता की सर्विस गांव बेरवाल में होने के कारण वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बेरवाल दर्ज हो गया जबकि वादीगण के दादा व पड़दादा का गांव असरजाना ही है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना पता सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना के स्थान पर असरजाना ही दर्ज करवाना चाहते है व बेरवाल खुर्द शब्द हटाना चाहते है तथा वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मदन गोपाल भाकर दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जबकि वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम मदन गोपाल है इसलिए वादीगण अपना नाम मदन गोपाल भाकर के स्थान पर मदन गोपाल दर्ज करवाना चाहते है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व रोही मौजा असरजाना तहसील नेाहर के खाता स0 185/80 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादीगण का नाम क्रमश रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में वादीगण का नाम क्रमशः रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल सा0 असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल सा0 असरजाना दर्ज है। अत वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व रोही मौजा असरजाना तहसील नेाहर के खाता स0 185/80 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण का नाम क्रमशः रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना के स्थान पर वादीगण का नाम क्रमशः रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल सा0 असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल सा0 असरजाना के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्य छुपाया है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 920/2024

अनवान : –

1. रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 920 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 17/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 2 व रोही मौजा असरजाना तहसील नेाहर के खाता स0 185/80 की कुल 5.819 हैक्ट भूमि वादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादीगण का नाम क्रमशः रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 बेरवाला खुर्द हाल असरजाना के स्थान पर वादीगण का नाम क्रमशः रोहित भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 असरजाना व सौरभ भाकर पुत्र मदन गोपाल भाकर सा0 असरजाना के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरूस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्य छुपाया है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 17/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:16:33 IST
Reason: SelfAttested